न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/25/2024	2024/94	12.11.2024	16.12.2025

1. उम्मेद बेवा महेन्द्र उम्र करीब 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम कारोठ, गैस एजेन्सी के पास, अलवर रोड, राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर राज०।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार राजगढ जिला अलवर राज०

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 24 दिनांक 15.02.2023 न्यायालय तहसीलदार राजगढ़।

उपस्थितिः—

01.श्री रामबाबू कौशिक, श्री पुनीत शर्मा —वकील अपीलाण्ट

02.श्री दीपक मीना, पैरोकार सरकार —वकील रेस्पोडेण्ट (राजकीय अधिवक्ता)

—:: निर्णय ::—

यह अपील अपीलाण्ट श्रीमती उम्मेद बेवा महेन्द्र द्वारा विद्वान तहसीलदार राजगढ़ (रेस्पोडेण्ट) के आदेश दिनांक 15.02.2023, जिसके द्वारा ग्राम कारोठ का इंतकाल संख्या 24 स्वीकृत किया गया था, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो० की ओर से योग्य अधिवक्ता उपस्थित।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि आराजी खसरा नंबर 1475 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1515 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1518 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1519 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.28 हैक्टेयर वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर का खाता संख्या 62 संवत् 2069 से 2075 आराजी के खातेदारान महेन्द्र पुत्र रामेश्वर व महावीर सिंह पुत्र रामेश्वर जाति राजपूत 19/56—19/56 भाग के खातेदार काश्तकार है, जो फौत हो चुके है। जिनके वारिसान का नामान्तकरण आज तक उक्त आराजी पर दर्ज नहीं हुआ है। परन्तु जमाबन्दी संवत् 2069 से 2075 में नोट नम्बर 18 दिनांक 13.03.2023 खसरा नंबर 1475 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1515 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1518 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1519 रकबा 0.09 हैक्टेयर वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर का काश्तकार महेन्द्र पुत्र रामेश्वर पर कार्यालय श्रीमान तहसीलदार राजगढ़ के आदेश क्रमाक/भू.अ./2023/2048 दिनांक 09.03.2023 व कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी अलवर के पत्र क्रंमाक/प.आब/बकाया/2022—23/1886 दिनांक 28.02.2023 की पालना में बाकीदार सीमा राजपूत पत्नी श्री तेजसिंह राजपूत के नोशनल शेयर के आधार पर महेन्द्र पुत्र रामेश्वर की आराजी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पर बिना विभाग की अनुमति के बेचान या स्थानान्तरण करने हेतु नोट लगाया गया। स्वीकृत नामान्तकरण जो गैर कानूनी तरीके से उक्त आराजी पर नोट लगाया हुआ है। जबकि उक्त आराजी में न तो तेज सिंह राजपूत का कोई हिस्सा दर्ज है ना ही उसकी पत्नी सीमा राजपूत का कोई हिस्सा है ना ही कोई खातेदारी में नाम दर्ज है। जो उक्त जमाबन्दी खाता संख्या 62 का मुलायजा करने पर स्पष्ट होता है। उक्त जमाबन्दी में दर्ज खातेदारान की अन्देखी करते हुये उक्त नोट श्रीमान तहसीलदार साहब राजगढ के आदेश से दिनांक 09.03.2023 की पालना में दर्ज किया गया है। जो नोट काबिल दुरूस्त किये जाने योग्य है। इस नोट के रहने से उक्त आराजी में दर्ज खातेदारान के हक पर विपरीत प्रभाव पडता है। इसलिये उक्त नोट को हटाया जावें। कानूनन पहले महेन्द्र सिंह व महावीर सिंह पुत्रान रामेश्वर जो कि उक्त आराजीयात में खातेदारान दर्ज है, का नामान्तकरण दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक था। परन्तु उक्त तथ्य पर कोई गौर नहीं फरमाया और नामान्तरण संख्या 24 दर्ज कर दिया जो काबिल गोर श्रीमान है और उक्त नामान्तकरण को न्यायहित में मनसुख किया जाकर उक्त नोट हटाया जाने योग्य है।

इन्तकाल संख्या 24 दिनांक 15.02.2023 को इकतरफा फैसल कर दर्ज किया जिससे इन्तकाल अपील अन्दर अवधि न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश है। इन्तकाल संख्या 24 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ खिलाफ अपीलान्ट वो खिलाफ कब्जा है। इन्तकाल संख्या 24 को स्वीकार करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया। तथा बिना उसकों सुने उम्मेद बेवा महेन्द्र जाति राजपूत की अदम मौजूदगी में वो सुने बिना, बिना तहकीकात किये उक्त इन्तकाल खोला गया। जो निरस्त किये जाने योग्य है।

हाल जमाबन्दी संवत 2069 लगायत 2075 खाता संख्या 62 में आज भी महेन्द्र पुत्र रामेश्वर हिस्सा 19/56 व महावीर सिंह पुत्र रामेश्वर हिस्सा 19/56 दर्ज है उक्त व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और उनके वारिसान का नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है। नामान्तकरण दर्ज होने से पूर्व ही उक्त नोट गैर कानून तरीके से लगाया गया है। कानूनन पहले मृतक के वारिसान का नामान्तकरण दर्ज होना चाहिए था। परन्तु तहसीलदार साहब द्वारा उक्त तथ्य पर गोर नही फरमाया और नामान्तकरण संख्या 24 दर्ज कर दिया। जो काबिल गोर श्रीमान है। और उक्त नामान्तकरण निरस्त फरमाये जाने योग्य है। इन्तकाल बिना अपीलान्ट के सुने व बिना सूचना पत्र जारी किये खोले जाने न्याय के प्रकृतिक सिद्वान्तों की पूर्णतय अवहेलना की गई है।

तहसीलदार राजगढ द्वारा इन्तकाल की सुनवाई वो अपना पक्ष पेश करने बाबत कोई अवसर नही दिया गया। जबकि इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व महेन्द्र सिंह के वारिसान को सूचना पत्र जारी कर, उन्हे सुनकर नामान्तकरण दर्ज करना चाहिए था, परन्तु ऐसा नही किया गया जो काबिल गोर श्रीमान है। मौके पर महेन्द्र की विरासत की आराजीयात को उनकी मृत्यु के बाद व पूर्व उक्त आराजी का उपयोग उपभोग अपीलान्ट शांति पूर्वक करते चले आ रहे है।

अतः प्रार्थना है कि वाद गौर बहस अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 24 दिनांक 15.02.2023 वाकें ग्राम कारोठ तहसील राजगढ निरस्त किया जाकर अपीलान्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

की आराजी खसरा नंबर 1475 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1515 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1518 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1519 रकबा 0.09 हैक्टेयर वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर में दर्ज नामान्तकरण निरस्त किये जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, जमाबन्दी संवत् 2069–2075 एवं इंतकाल संख्या 24 का सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया। जहां तक अपीलाधीन आदेश का प्रश्न है। राजस्व नियमों के अनुसार, किसी भी नामान्तरण या खातेदारी अधिकार में परिवर्तन से पूर्व संबंधित पक्षों (विशेषकर मृतक के वारिसान) को नोटिस जारी कर सुना जाना अनिवार्य है। इस प्रकरण में अपीलाण्ट (मृतक महेन्द्र की विधवा) को न तो कोई सूचना दी गई और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। बिना तहकीकात के एकपक्षीय कार्यवाही किया जाना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि महेन्द्र व महावीर सिंह के नाम है। तहसीलदार द्वारा लगाया गया नोट "सीमा राजपूत" के बकाया के संबंध में है। यह स्पष्ट है कि सीमा राजपूत का नाम न तो जमाबन्दी के मुख्य कॉलम में है और न ही वह सह–खातेदार है। किसी तीसरे पक्ष के बकाया हेतु मूल खातेदारों की भूमि पर हस्तांतरण की रोक (Note) लगाना कानून की नजर में शून्य है। कानूनन, खातेदार की मृत्यु के पश्चात सर्वप्रथम उसकी विरासत का नामान्तरण दर्ज किया जाना चाहिए। तहसीलदार राजगढ़ ने वारिसान के हक को नजरअंदाज करते हुए सीधे ही नोट दर्ज कर दिया, जो कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की स्थापित प्रक्रियाओं के प्रतिकूल है। विद्वान तहसीलदार राजगढ़ ने इंतकाल संख्या 24 को स्वीकृत करने में गंभीर प्रक्रियात्मक चूक की है। जब बकायादार (सीमा राजपूत) का उस भूमि में कोई दर्ज हिस्सा ही नहीं है, तो उस आराजी पर बेचान या हस्तांतरण की रोक लगाना नैसर्गिक न्याय और संपत्ति के अधिकार का हनन है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर हम यह पाते है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपीलाण्ट श्रीमती उम्मेद की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान तहसीलदार राजगढ़ द्वारा ग्राम कारोठ के संबंध में स्वीकृत इंतकाल संख्या 24 दिनांक 15.02.2023 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहत अदालत के रिकार्ड के साथ वापिस लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर